रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012023-241733
CG-DL-E-06012023-241733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944
No. 82] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

का.आ. 85(अ).— विधिविरुद्ध-क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का अधिनियमन व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध- क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के 'अनुसार आतंकवादी संगठन' से उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के रूप में उसके नाम से कार्य करने वाला कोई संगठन अभिप्रेत है;

और, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में ऐसे आतंकवादी संगठनों की सूची अंतर्विष्ट है;

और, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ), वर्ष 2019 में जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी आउटफिट के रूप में उभरा है, जो कि उक्त अधिनियम के अधीन पहली अनुसूची के क्रम सं. 6 पर सूचीबद्ध एक निषिद्ध आतंकवादी संगठन है ;

और, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) लगातार भारतीय सुरक्षा बलों, राजनैतिक नेताओं, जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले अन्य राज्यों के लोगों के लिए चेतावनी जारी करता है ;

और, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) अन्य संगठनों के साथ भारत में जम्मू-कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी कृत्यों को करने के लिए पूर्व सक्रिय रूप से भौतिक रूप में और सोशल मीडिया पर षडयंत्र करने में संलिप्त है;

और, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) अन्य संगठनों के साथ बंदूकें, गोला बारूद और विस्फोटकों को चलाने के लिए भर्ती तथा प्रशिक्षण के प्रयोजन से प्रभावनीय युवाओं को अतिवादी बनाने में लगा हुआ है;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) आतंकवाद में संलग्न है और इसने भारत में आतंकवाद के अनेक कृत्यों को किया है और उनमें भाग लिया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध-क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम सं. 6 में, "तहरीक-ए-फुरकन" शब्दों के पश्चात् "/पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) और इसके सभी रूप तथा फ्रंट संगठन" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 11034/14/2022/सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ट, अपर सचिव

टिप्पण:- विधिविरुद्ध-क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 45(अ). तारीख 5 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2023

S.O. 85(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, the 'People's Anti-Fascist-Front (PAFF)' emerged in the year 2019 as a proxy outfit of Jaish-e-Mohammed, a proscribed terrorist organisation listed at serial number 6 of the First Schedule under the said Act;

And whereas, the 'People's Anti-Fascist-Front (PAFF)' regularly issues threats to Indian Security Forces, political leaders, civilians working in Jammu-Kashmir from other states;

And whereas, the 'People's Anti-Fascist-Front (PAFF)' alongwith other organisations is involved in conspiring pro-actively physically and in social media to undertake violent terrorist acts and Jammu-Kashmir and other major cities in India;

And whereas, the 'People's Anti-Fascist-Front (PAFF)' alongwith other organisations is indulging in radicalization of impressionable youth for the purpose of recruitment and training in handling guns, ammunitions and explosives;

And whereas, the Central Government believes that the 'People's Anti-Fascist-Front (PAFF)' is involved in terrorism and it has committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, in serial number 6, after the words "Tahrik-E-Furqan", the words and brackets "/ People's Anti-Fascist-Front (PAFF) and all its manifestations and front organisations", shall be inserted.

[F.No. 11034/14/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 45(E), dated the 5th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.06 22:37:56 +05'30'